प्रेस नोट 01, दिनांक 07.07.2024

थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव।

हत्या कर व्यक्ति के शव को जलाने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हसनगंज पुलिस द्वारा जमीनी विवाद में पड़ोसी की हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त लोहे का रॉड बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 11.05.2024 को वादी श्री ओमकार पुत्र स्व0 रामपाल मौर्या नि0ग्राम गांधी नगर नगर पंचायत न्योतनी थाना हसनगंज,उन्नाव उपस्थित थाना आकर अपने बड़े भाई सुशील कुमार मौर्या की अज्ञात लोगो द्वारा हत्या कर शव को आम के बाग में झोपड़ी में चारपाई पर रखकर जला देने तथा पास में रखे उसके बक्से की कुंडी तोड़कर उसमें भी आग लगा देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 107/2024 धारा 302/201/436 आईपीसी पंजीकृत कराया था । तत्काल प्रभारी निरीक्षक मय पुलिस टीम के मौके पर पहुच कर शव को कब्जे में लेते हुए स्वाट टीम, फिल्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया तथा जांच, विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन के क्रम में लोगो से पूछताछ, काल डिटेल व अन्य कार्यवाहियों के पश्चात ये बात प्रकाश में आयी कि मृतक सुशील मौर्या के परिवारीजनों व उनके विपक्षी मो0 हलीम व उनके भतीजों 1.मो0 अब्दुल मुजीब उर्फ गुड्डू 2.मो0 अब्दुल हादी उर्फ पप्पू पुत्रगण स्व0 मो0 अब्दुल हफीज नि0गण मोहल्ला गांधीनगर न्योतनी थाना हसनगंज,उन्नाव के मध्य पुस्तैनी जमीन पर कब्जेदारी को लेकर विवाद चल रहा था । स्व0 रामपाल के न्योतनी स्थित कीमती खेत पर मो0 हलीम व उसके परिजनों ने कई वर्षो से कब्जा कर रखा है । जिसे लेकर मा0 न्यायालय में भी वाद दायर था जिसमें माह अप्रैल 2024 में ही मा0 न्यायालय का फैसला सुशील मौर्या के पक्ष में आया था चूंकि जमीन पर मो0 अब्दुल मुजीब व मो0 अब्दुल हादी के घर वालो का कब्जा था तथा यही लोग जोत-बो रहे थे । ।कुछ समय पूर्व ही मृतक सुशील मौर्या के पिता रामपाल की भी एक्सिडेन्ट में मृत्यु हो गयी थी । मो0 अब्दुल मुजीब व मो0 अब्दुल हादी उपरोक्त लोगो ने योजना बनायी कि न्यायालय का फैसला सुशील उपरोक्त के पक्ष में आया है और सुशील मौर्या अब जमीन ले लेगा । अतः सुशील मौर्या को रास्ते से हटाने की योजना तैयार की तथा दिनांक 09/10.05.24 की रात में जब सुशील मौर्या आम की बाग में अपने झोपड़ी में सो रहा था उसी समय

उपरोक्त दोनो अभियुक्तो द्वारा लोहे की राड से सुशील के सर पर हमला कर हत्या कर दी गयी तथा झोपड़ी व बक्शे में आग लगा दी गयी। आज दिनांक 07.07.2024 को थाना हसनगंज पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.मो0 अब्दुल मुजीब उर्फ गुड्डू 2.मो0 अब्दुल हादी उर्फ पप्पू पुत्रगण स्व0 मो0 अब्दुल हफीज नि0गण मोहल्ला गांधीनगर न्योतनी थाना हसनगंज,उन्नाव को पुछड़ा तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त अदद लोहे का रॉड भी बरामद कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1-मो0 अब्दुल मुजीब उर्फ गुड्डू पुत्र स्व0 मो0 अब्दुल हफीज नि0 मोहल्ला गांधीनगर न्योतनी थाना हसनगंज,उन्नाव उम्र करीब 56 वर्ष।
2-मो0 अब्दुल हादी उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 मो0 अब्दुल हफीज नि0 मोहल्ला गांधीनगर न्योतनी थाना हसनगंज,उन्नाव उम्र करीब 53 वर्ष।

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1-प्र0नि0 श्री चन्द्रकान्त मिश्र थाना हसनगंज उन्नाव।
2-उ0नि0 श्री अनिल कुमार शर्मा थाना हसनगंज,उन्नाव।
3.हे0का0 मृत्युजय प्रसाद थाना हसनगंज उन्नाव।
4.हे0का0 राजेश राय थाना हसनगंज उन्नाव।

प्रेस नोट 02, दिनांक 07.07.2024

थाना सोहरामऊ, जनपद उन्नाव।

हत्या के वांछित दो अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा हत्या के वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 12.12.2023 को वादिनी सोनी पुत्री वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम हसनापुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव द्वारा अभियुक्तगण 1.सूर्य कुमार सिंह, 2. वैभव सिंह (शिशू) पुत्र सूर्य कुमार सिंह, 3. शुभम सिंह, 4.वीरेन्द्र सिंह (पूर्व प्रधान), 5. जितेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ जीतू पुत्र वीरेन्द्र सिंह, 6. रवीन्द्र सिंह (उल्लू), 7. जगदीश सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह, 8. अजय सिंह , 09. विजय सिंह, 10. अरुण सिंह पुत्र जगदीश सिंह सर्व नि0गण ग्राम हसनापुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव द्वारा एक राय होकर वादिनी के पिता की जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर लेना विरोध करने पर वादिनी के पिता पर पेट्रोल डालकर आग लगा देना आस-पास के लोगो के आ जाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाना तथा दौराने इलाज वादिनी के पिता की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना सोहरामऊ पर दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-214/2023 धारा 143/147/148/326/506/447/307/302 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसमें प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा कार्यवाही करते हुए नामित अभियुक्तगण- 1.जितेन्द्र सिंह उर्फ जीतू सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह 2.शुभम सिंह उर्फ गौरव सिंह पुत्र सूर्यकुमार सिंह नि0गण ग्राम हसनापुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव को दिनांक 06.07.2024 को बनी सई नदी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1.जीतेन्द्र सिंह उर्फ जीतू सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी हसनापुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 34 वर्ष

2.शुभम सिंह उर्फ गौरव सिंह पुत्र सूर्यकुमार सिंह निवासी हसनापुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1.SHO श्री सुनील कुमार सिंह थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव

2.उ0नि0 श्री मो0 असलम थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव

3.हे0का0 जुगराज सिंह थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव

4.का0 नीरज कुमार थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव

5.का0चन्द्रमौली दुबे थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव

6.म0का0 ज्योति कुमारी थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव

UNNAO POLICE

प्रेस नोट 03, दिनांक 07.07.2024

थाना फतेहपुर चौरासी, जनपद उन्नाव।

बुजुर्ग की हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी तथा क्षेत्राधिकारी महोदया सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा बुजुर्ग की हत्या करने वाले अभियुक्त को आलाकत्ल एक अदद आधी ईंट बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 29.6.2024 को प्रार्थी सुनील कुमार पुत्र बुधई निवासी ग्राम मन्नानगर थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव द्वारा थाना फतेहपुर चौरासी पर तहरीर दी कि प्रार्थी के पिता बुधई कटरी मे अपने खेत मे रखवाली करने के लिए कटरी मे छप्पर डाल कर रहते थे। तथा वही पर अपनी भैंस को भी रखते थे तथा उसी देखभाल वहीं रहकर करते थे। घर से मै सुबह शाम खाना लेकर जाता था दिनांक 28.6.24 को साम 7 बजे खाना देकर आया था आज दिनांक 29.6.24 को समय करीब सुबह 6 बजे प्रार्थी भैंस दुहने व परवल तोड़ने अपने खेत पहुंचा तो देखा कि मेरे पिता चारपाई पर पड़े है उनकी कनपटी के बाई तरफ चोट लगी है खून काफी बहा है और उनकी और उनकी मृत्यु हो चुकी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फतेहपुर चौरासी पर मु0अ0सं0 184/24 धारा 302 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 07.07.2024 को थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त सतीश पुत्र स्व0 महेश निषाद निवासी ग्राम मन्नानगर थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर परशुरामपुर पुलिया से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त निशादेही पर आलाकत्ल एक अदद अद्धी ईंट बरामद की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त

सतीश पुत्र स्व0 महेश निषाद निवासी ग्राम मन्नानगर थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी- आलाकत्ल एक अदद अद्धी ईंट

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1.प्रभारी निरीक्षक राजेश्वर प्रसाद त्रिपाठी

2. निरीक्षक अपराध जयप्रकाश यादव,

3. उ0नि0 श्री दिलीप कुमार,

4. का0 मुस्तकीम अहमद,

5. का0 अतुल यादव,

प्रेस नोट 04, दिनांक 07.07.2024

थाना आसीवन, जनपद उन्नाव।

गोवध निवारण अधिनियम का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसीवन पुलिस द्वारा गोवध निवारण अधिनियम के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 07.7.224 को उ0नि0 श्री रामऔतार मय हमराह फोर्स द्वारा थाना आसीवन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 95/24 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 में वांछित आलम पुत्र इसरत निवासी ग्राम आसीवन तरफ पश्चिम थाना आसीवन जनपद उन्नाव को मुखबिर की सूचना पर वीरूगढ़ी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

आलम पुत्र इसरत निवासी ग्राम आसीवन तरफ पश्चिम थाना आसीवन जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ0नि0 रामऔतार
2. हे0का0 देवी प्रसाद
3. कां0 रितेश पटेल

प्रेस नोट 05, दिनांक 07.07.2024

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव।

कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से जमीन का बैनामा कराने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी तथा क्षेत्राधिकारी महोदया नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से जमीन का बैनामा कराने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 07.07.2024 को अ0नि0 श्री राजेश यादव व व0उ0नि0 बृजेश कुमार यादव मय हमराह फोर्स द्वारा थाना कोतवाली सदर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 918/23 धारा 419/420/467/468/471 भा0द0वि0 व मु0अ0स0 242/24 धारा 420/467/468/471/504/506 भा0द0वि0 व 3(2) V एससी एसटी एक्ट से सम्बंधित वांछित अभियुक्त मो0 अनीश पुत्र स्व0 हबीब निवासी सिंगरोसी थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव को दोस्ती नगर तिराहे से गिरफ्तार किया गया |

गिरफ्तार अभियुक्त

1- मो0 अनीश पुत्र स्व0 हबीब निवासी सिंगरोसी थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव उम्र 53 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

अ0नि0 श्री राजेश यादव
व0उ0नि0 बृजेश कुमार यादव
हे0का0 प्रभाकर राय
हे0का0 भाल चन्द्र
का0 राजेश सिंह